न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.11/प्रा.पत्र/2020 (GCMS No. 2020/00013)	19.02.2020	31.12.2024

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)
— प्रार्थी

बनाम

मृतक स्व. बंशी आ. किशनदास जाति चोबदार, ग्राम गुढानाथावतान (जर्ये कायम मुकाम) —
1. गुड्डीबाई पुत्री बंशी पत्नी राजेन्द्र जाति चोबदार
निवासी बड़ाखेड़ा, तहसील एवं जिला बून्दी
— अप्रार्थिया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित—
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी की ओर से श्री सुनील गौत्तम, एडवोकेट।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी बंशीलाल को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 1582/2103 रकबा 5 बीघा वाकेग्राम बिशनपुरा आवंटन आदेश दिनांक 08.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 11/2020 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2020/00013 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बंशीलाल का देहान्त हो जाने से उसकी वारिस पुत्री गुड्डीबाई को रेस्पो.सं.1 पर कायम मुकाम बनाया गया। अप्रार्थियां द्वारा उपस्थित न्यायालय आकर दिनांक 11.06.2024 को जवाब पेश किया गया। जिसमें प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किये जाने एवं आंवटन यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर, बून्दी

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तक्र प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी तथा वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन किश्त जमा नहीं की गई है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही है। ऐसे में आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया उचित है। पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन निरस्त किये जाने एवं भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थिया ने बहस के दोरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी बंशीलाल आ. किशनदास के आवंटन को 48 वर्ष हो चुके है, इतनी लम्बी अवधि के बाद अब आवंटन कानूनन खारिज नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थिया के पिता बंशीलाल को भूमिहीन होने से राजस्थान सरकार द्वारा 5 बीघा भूमि आवंटित की थी और आवंटी बंशीलाल जी ने आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना की है। बंशीलाल द्वारा भूमि को फाड तोड़ कर काबिज काश्त बनाया है और ताजिन्दगी भूमि पर खेती की है। बंशीलाल जी स्वयं भी खेती करते थे और आधोली पर भी काश्त करवाते थे। आवंटी की मृत्यु के बाद उनकी पुत्री कायम मुकाम गुड्डीबाई सुसराल बडाखेडा रहने से आदोली पर काश्त करवा रही है। आवंटी द्वारा किसी भी शर्त का कोई उल्लंघन नहीं किया गया। आवंटी बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ आवंटन के 03 वर्ष बाद स्वतः ही काननून खातेदार बन चुका है और आवंटी की मृत्यु हो जाने से उसकी पुत्री अप्रार्थिया गुड्डी बाई खातेदार बन चुकी है। आवंटन किश्त के संबंध में तहसीलदार बून्दी द्वारा मांग–पत्र जारी करने पर अप्रार्थिया नियमानुसार राशि जमा करवाने के लिए तत्पर है। आवंटित कृषि भूमि आवंटी बंशीलाल या उसकी पुत्री अप्रार्थिया द्वारा बेचान नहीं की है। तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे आवंटित भूमि पर वर्तमान में गुड्डीबाई का कब्जा नहीं होना प्रकट हो सके। वर्तमान में उक्त भूमि पर किसका कब्जा है, तहसीदार बून्दी द्वारा इसका भी अंकन नहीं किया है। अभिभाषक अप्रार्थिया द्वारा अपने कथन के समर्थन में 2021(2) आरआरटी पेज 1169, 2017(2) आरआरटी पेज 972, 2017(2) आरआरटी पेज 872, 2016(2) डीएनजे (राज.) पेज 732 की नजीरें पेश करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने एवं अप्रार्थी का आवंटन यथावत रखे जाने तथा अप्रार्थिया को राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर; बून्दी

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे जाहिर आया कि आवंटी बंशीलाल आ. किशनदास जाति चोबदार निवासी गुढानाथावतान को दिनांक 08.11.1975 को किया गया भूमि खसरा सं. 1582 प्लाट नं.3 रकबा 5 बीघा वाकेग्राम गुढानाथावतान का आवंटन आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रकरण तैयार कर भिजवाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत 2072–2075 के अनुसार आवंटित भूमि खसरा संख्या 1582/2103 रकबा 0.7690 हेक्टेयर पर आवंटी बंशी पुत्र किशनदास चोबदार गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रकरण में तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रेषित प्रपत्र में बिन्दू संख्या 4 में "(1) आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है। (2) आवंटी द्वारा आवंटन किश्त जमा नहीं की गई है। (3) आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही है।" अंकित किया जाकर आवंटन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट पटवारी अनुसार उक्त भूमि खसरा संख्या 1582/2103 रकबा 5 बीघा पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है और ना ही आवंटन शर्तो की पालना की जा रही है। अप्रार्थिया द्वारा जर्ये अभिभाषक दिनांक 11.06.2024 को इस न्यायालय में जवाब पेश किया गया, जिसमें अप्रार्थिया ने आवंटित भूमि पर स्वयं का कब्जा काश्त होना बताया है किन्तु इस जवाब के साथ ऐसे दस्तावेज पेश नहीं किये गये जिससे उक्त आंवटित भूमि पर आवंटी तथा अप्रार्थिया का निरन्तर कब्जा काश्त होना साबित हो सके। आवंटन नियम के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी बंशीलाल आ. किशनदास जाति चोबदार निवासी गुढानाथावतान को किया गया आवंटन भूमि खसरा संख्या 1582 रकबा 5 बीघा (ख.सं.1582/2103 रकबा 0.7690 हेक्टेयर) वाकेग्राम गुढानाथावतान दिनांक 08.11.1975 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बून्दी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे ।

आदेश आज दिनांक 31.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी